

FORM - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी [राजस्व], श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

ताजप्रीत सिंह आदि बनाम सुरेन्द्र सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 106 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/561

तामिल हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24.12.2025	<p>प्रार्थीगण ताजप्रीत सिंह पुत्र परमिन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी गांव 22 एच तहसील श्रीकरणपुर आदि की ओर से अधिवक्ता श्री सतवीर कुमार के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। रास्ता की भूमि के संबध में रिपोर्ट तहसीलदार हेतु पत्र लिखा जावे। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21.01.2026 को पेश हो</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर एवं फ़ैद उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</p> <p>आज यह पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा नोटिस करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA नोटिस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बिगिति होकर नम्बर से कम होकर दाखिल पत्र हो</p> <p><i>[Signature]</i> सहायक कलक्टर एवं फ़ैद उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)</p>	i Not-press by me -ch Dank सन्धी एडवा 26/12/25

26 12/25

